



Bureau of Energy Efficiency

Ministry of Power, Government of India

Chillers

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Chillers	14(a)	S.O. 4088(E). dated 18 th September, 2023	IS 16590 (with all amendments).
	14(b)	S.O. 4089(E). dated 18 th September, 2023	
	14(d)	No. BEE/S&L/Chillers/40/2021-22 dated 20 th September, 2023	



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248822
CG-DL-E-19092023-248822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3924]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945

No. 3924]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

का.आ. 4088(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, चिल्लर्स के लिए ऊर्जा उपभोग मानक विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

(1) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16950 के अधीन आने वाले वाष्प संपीडन प्रकार के सभी प्रकार और आकार के प्रत्येक द्रव्य चिल्लर पैकेज (चिल्लर्स) का उपयोग एकल चरण और उसके ऊपर के लिए 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी तक भारत में विनिर्मित किए गए वाणिज्यिक रूप से क्रय, विक्रय या आयात किए जाने वाले तीन चरण की विद्युत आपूर्ति के लिए 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी को सम्मिलित करते हुए, रेटेड वोल्टेज के साथ स्पेस कूलिंग के लिए किया जाता है, जो -

(क) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16950 में विनिर्दिष्ट खंड 11.4.1 और 11.4.2 के अनुरूप शीतलन क्षमता और विद्युत के उपयोग को पूरा करे;

(ख) सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 के खंड 5.1 और 5.2 के अनुसार विनिर्माण और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करे।

(ग) पूर्व योग्यता मानदण्डों को पूरा करे जिसमें प्रत्येक मॉडल पैरा (3) के उप-पैरा (1) के अनुसार निष्पादन का न्यूनतम गुणांक प्राप्त करेगा।

2. (1) परिभाषाएँ: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्तियाँ, -

(क) "एप्लिकेशन रेटिंग" से मानक रेटिंग शर्तों के सिवाए एप्लिकेशन रेटिंग शर्तों पर आधारित रेटिंग अभिप्रेत है;

(ख) "एयर कूल्ड कंडेन्सर" से एक प्रशीतन प्रणाली घटक अभिप्रेत है जो अपना ताप हस्तांतरण सतह पर प्रसारित हवा में ताप को अस्वीकार करके रेफ्रिजरेट वाष्प को संघनित करता है जिससे हवा के तापमान में वृद्धि होती है और रेफ्रिजरेट का उप-शीतलन भी हो सकता है;

(ग) "बेसिक मॉडल ग्रुप" से उन मॉडलों का समूह अभिप्रेत है जिनकी विशेषताएं समान हैं और जो एक मॉडल के प्रदर्शन को समूह के भीतर अन्य मॉडलों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीतलन क्षमता की एक निश्चित सीमा के भीतर, एक बेसिक मॉडल ग्रुप में वे चिल्लर मॉडल शामिल होंगे, जो भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के संदर्भ में समान ऊर्जा प्रदर्शन के साथ एक ही स्टार लेवल बैंड में रखे होंगे।

(घ) "निष्पादन का गुणांक" से किलोवाट में शीतलन क्षमता और किलोवाट में कुल बिजली इनपुट का अनुपात अभिप्रेत है, निष्पादन के गुणांक की परिभाषा केवल चिल्लर इकाई से संबंधित है;

(ङ.) "कंडेन्सर" से एक प्रशीतन प्रणाली घटक अभिप्रेत है जो रेफ्रिजरेट वाष्प को संघनित करता है। रेफ्रिजरेट का उप-शीतलन भी हो सकता है;

(च) "कंडेन्सर हीट रिजेक्शन क्षमता" से समय किलोवाट की प्रति यूनिट कंडेन्सर के ताप हस्तांतरण माध्यम द्वारा निकाला गया ताप अभिप्रेत है;

(छ) "शीतलन क्षमता" से समय की प्रति इकाई, द्रव्य से रेफ्रिजरेट को दिया जाने वाला ताप अभिप्रेत है;

(ज) "भारतीय आवर्तक ऊर्जा क्षमता अनुपात" से ताप की कुल वार्षिक मात्रा और उसी अवधि के दौरान उपस्कर द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की कुल वार्षिक मात्रा का अनुपात अभिप्रेत है, जिसे उपस्कर को सक्रिय मोड में शीतलन के लिए चलाने पर भीतरी वायु से हटाया जा सकता है;

(झ) "लिक्विड-चिलिंग पैकेज (चिल्लर्स)" से वाष्प संपीड़न चक्र का उपयोग करने वाली प्रशीतन मशीन अभिप्रेत है।

(ञ) "द्रव्य रेफ्रिजरेट तापमान" से विस्तार उपकरण में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेट का तापमान (डिग्री सेल्सियस) अभिप्रेत है;

(ट) "निष्पादन रेटिंग" से निष्पादन वक्र या कैटलॉग या कंप्यूटर चयन कोड से आउटपुट के रूप में विभिन्न लोड पर इकाई के ऑपरेटिंग रेंज पर निष्पादन डाटा अभिप्रेत है;

टिप्पण : प्रकाशित रेटिंग विनिर्माता द्वारा परिभाषित किसी भी रूप में घोषित रेटिंग हैं।

(ठ) "मानक रेटिंग" से मानक रेटिंग शर्तों पर आधारित रेटिंग अभिप्रेत है;

(ड) प्रणाली के "कुल पावर इनपुट" से संचालन में इकाई के सभी घटकों का पावर इनपुट अभिप्रेत है।

(ढ) "वाटर-कूल्ड कंडेन्सर" से एक ऐसा घटक अभिप्रेत है जो रेफ्रिजरेट-टू-वाटर हीट ट्रांसफर साधनों का उपयोग करता है, जिससे रेफ्रिजरेट संघनित होता है और पानी गर्म होता है। रेफ्रिजरेट का कम ठंडा होना भी हो सकता है:

टिप्पण : किसी भी विवाद के लिए सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 में दी गई परिभाषाएँ मान्य होंगी।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय मानक ब्यूरो में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उन्हें सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 में दिए गए हैं।

3. पूर्व-योग्यता मानदंड और स्टार रेटिंग योजना - (1) उप-पैरा (3) के अधीन दी गई स्टार रेटिंग के लिए पात्र बनने के लिए और प्रत्येक चिल्लर को वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड कंडेन्सर चिल्लर श्रेणी के लिए क्रमशः सारणी 1 और सारणी 2 में दिए गए अनुसार सभी स्टार स्तर पर निष्पादन के लिए न्यूनतम गुणांक को पूरा करना होगा -

(सारणी 1)

वाटर कूल्ड कंडेन्सर के लिए न्यूनतम सीओपी (100% लोड के लिए)

शीतलन का किलोवाट	अपेक्षित सीओपी
<260	4.2
>=260 और <530	4.7
>=530 और <1050	5.0
>=1050 और <1580	5.2
>=1580	5.6

(सारणी 2)

एयर कूल्ड कंडेन्सर के लिए न्यूनतम सीओपी (100% लोड के लिए)

शीतलन का किलोवाट	अपेक्षित न्यूनतम सीओपी
<260	2.4
>=260	2.6

- (2) प्रत्येक चिल्लर पर चिपकाए जाने वाले लेबल में एक स्टार के अंतराल के साथ अधिकतम पांच स्टार संप्रदर्शित होंगे, और चिल्लर को भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता मान के आधार पर एक पांच स्टार तक के निष्पादन के लिए रेट किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक चिल्लर ऊर्जा उपभोग मानकों का उल्लेख करेगा जो खंड (1) (क) में निर्धारित निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।
- (4) वाटर-कूल्ड या एयर-कूल्ड कंडेन्सर वाले चिल्लर लागू सारणी 3 और 4 के अनुसार आईएसईईआर की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। मॉडलों के लिए चुना गया स्टार स्तर प्रत्येक स्टार लेबल बैंड की उनकी सापेक्ष ऊर्जा दक्षता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा पर आधारित होगा जैसा कि नीचे दी गई सारणियों में दिखाया गया है।

सारणी 3

वाटर कूल्ड चिल्लर के लिए स्टार रेटिंग स्तर

सारणी विधिमान्यता अवधि 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक					
शीतलन का किलोवाट	आईएसईईआर				
	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
<260	4.80	5.20	5.60	6.10	6.60
>=260 एवं <530	5.00	5.60	6.20	6.80	7.40
>=530 एवं <1050	5.50	6.10	6.70	7.40	8.20
>=1050 एवं <1580	5.80	6.50	7.20	7.90	8.70
>=1580	6.00	6.70	7.40	8.20	9.00

सारणी 4

एयर कूल्ड चिल्लर के लिए स्टार रेटिंग स्तर

सारणी विधिमान्यता अवधि 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2025 तक					
शीतलन का किलोवाट	आईएसईईआर				
	1 स्टार	2 स्टार	3 स्टार	4 स्टार	5 स्टार
<260	3.00	3.30	3.60	4.00	4.40
>=260	3.10	3.50	3.90	4.30	4.70

- (5) स्टार स्तर योजना की समीक्षा सारणी 3 और सारणी 4 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले की जाएगी और उसके बाद, स्टार स्तर योजना प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् या लेबल की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति से पूर्वतर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षित की जाएगी।
- (6) 39°सेल्सियस पर चिल्लर की क्षमता विनिर्माता द्वारा घोषित की जाएगी। यह क्षमता भौतिक परीक्षण या अनुमोदित सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित की जाएगी।

4. परीक्षण दिशानिर्देश-

- (1) प्रत्येक चिल्लर का परीक्षण सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 के नवीनतम संस्करण के अनुसार किया जाएगा।

(2) प्रत्येक चिल्लर को किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मान्यता या प्रमाणन अभिकरण द्वारा अनुमोदित टूल/सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बेसिक मॉडल समूह में विनिर्माता की ऊर्जा निष्पादन सॉफ्टवेयर परीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न करना होगा। ऊर्जा निष्पादन सॉफ्टवेयर रिपोर्ट में परीक्षण स्थितियों के अनुसार 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत लोड पर निष्पादन का गुणांक और सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 के उपाबद्ध ख में उल्लिखित परीक्षण विधियों और भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात मान पर मूल्य शामिल करना होगा। सॉफ्टवेयर-आधारित परीक्षण रिपोर्ट के अतिरिक्त, विनिर्माता को सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 में उल्लिखित परीक्षण शर्तों के अनुसार शीतलन क्षमता, विद्युत उपभोग और भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के परीक्षण परिणामों के संबंध में प्रत्येक बेसिक मॉडल समूह के अधीन मूल मॉडल के लिए भौतिक परीक्षण रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

3) निष्पादन परीक्षण सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 के खंड 6 में दी गई सारणी संख्या 1 में उल्लिखित मानक रेटिंग शर्तों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

(4) सभी माप उपकरणों की सटीकता सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16590 के खंड 10 में दी गई सारणी संख्या 3 में दी गई परिभाषा के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक मापी गई मात्रा के माप में अनुमेय भिन्नता सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16950 के खंड 10 की सारणी सं. 3 के अनुसार होगी।

(5) सहनशीलता सीमाएँ:

(1) निष्पादन के गुणांक (पूर्ण भार और आंशिक भार), शीतलन क्षमता (पूर्ण भार और आंशिक भार) और भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के लिए सहनशीलता सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16950 के खंड 7.1 की सारणी सं. 2 में यथाविनिर्दिष्ट होगी, परंतु विनिर्माता द्वारा घोषित सीओपी क्रमशः वाटर कूलड और एयर कूलड कंडेन्सर के लिए इस आदेश की सारणी सं. 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मान से नीचे नहीं होगी।

2) पूर्ण भार क्षमता और पूर्ण भार, आंशिक भार निष्पादन का गुणांक सभी संशोधनों सहित भारतीय मानक 16950 के खंड 7.1 की सारणी सं. 2 में दिए गए समीकरण का उपयोग करके गणना की गई स्वीकार्य सहनशीलता को घटाकर रेटिंग के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(3) निष्पादन मैट्रिक पर कोई नकारात्मक सहिष्णुता नहीं होगी; प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए विनिर्दिष्ट भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात मान और सभी परीक्षित उपकरण प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम सीमा को पूरा करेंगे।

(4) सभी मानों को तीन महत्वपूर्ण अंकों में दर्ज किया जाएगा। भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात और निष्पादन मान के गुणांक को भारतीय मानक 2: 1960 'संख्यात्मक मूल्यों को पूर्णांकित करने के नियम (सभी संशोधनों सहित)' के अनुसार दो महत्वपूर्ण अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा।

5. परीक्षण रिपोर्ट. -परीक्षित किए जा रहे चिल्लर के परिणाम की रिपोर्ट उपाबद्ध क में दिए गए विहित प्ररूप में होगी।

[फा. सं. 10/11/2022- ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

उपाबद्ध क

[पैरा 5 देखें]

परीक्षण के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप
(प्रत्येक प्रकार/मॉडल के लिए अलग परीक्षण रिपोर्ट प्ररूप का उपयोग किया जाएगा)

परीक्षण रिपोर्ट संख्या

परीक्षण रिपोर्ट की तारीख:

1. सामान्य जानकारी

विनिर्माता/प्रयोगशाला का नाम	
पता	
परीक्षण प्रयोगशाला तथा नमूना प्राप्त होने की तारीख	
प्रयोगशाला प्रत्यायन संख्या	
परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन की विधिमान्यता	
परीक्षणकर्ता के द्वारा परखा गया	
अनुमोदनकर्ता के द्वारा अनुमोदित	
परीक्षण की तारीख	

2. परीक्षित और रेटिड नमूनों का ब्यौरा

ब्रांड का नाम	
बेसिक मॉडल समूह	
मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3	
क्रम संख्या	
विनिर्माण वर्ष	
रेटिड वोल्टेज	
रेटिड आवृत्ति	
कंडेन्सर का प्रकार (वाटर कूल्ड/एयर कूल्ड)	
रेटिड शीतलन क्षमता	
रेटिड सीओपी	
रेटिड आईएसईईआर	

3. परीक्षण - परिणाम

क्र.सं.	परीक्षणों की अनुसूची	घोषित मान	मापित मान
1	शीतलन क्षमता किलोवाट (25% लोड पर)		
2	शीतलन क्षमता किलोवाट (50% लोड पर)		
3	शीतलन क्षमता किलोवाट (75% लोड पर)		
4	शीतलन क्षमता किलोवाट (100% लोड पर)		
5	25% लोड पर विद्युत उपभोग		
6	50% लोड पर विद्युत उपभोग		
7	75% लोड पर विद्युत उपभोग		
8	100% लोड पर विद्युत उपभोग		
9	सीओपी- (25% लोड पर)		
10	सीओपी-(50% लोड पर)		
11	सीओपी-(75% लोड पर)		
12	सीओपी-(100% लोड पर)		
13	भारतीय मानकईईआर		

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September 2023

S.O. 4088(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the energy consumption standard for Chillers, namely:—

(1) Every liquid chilling packages (chillers) of all types and sizes of the vapour compression type covered under the scope of IS 16950 with all amendments used for space cooling with rated voltage up to and including 250 V, 50 Hz AC, for single phase and up to and including 400V, 50Hz AC for three phase power supply being manufactured, commercially purchased, imported or sold in India shall,-

- (a) meet the cooling capacity and power consumption in line with clause 11.4.1 and 11.4.2 as specified in IS 16950 with all amendments.
- (b) meet construction and safety requirements as per clause 5.1 and 5.2 of IS 16950 with all amendments.
- (c) Meet the prequalification criteria wherein every model shall achieve minimum coefficient of performance in accordance with sub-paragraph (1) of paragraph (3).

2. (1) Definitions: For the purpose of this notification, the expressions,—

- (a) “Application Rating” means a rating based on application rating conditions other than standard rating conditions;
- (b) “Air Cooled Condenser” means a refrigeration system component that condenses refrigerant vapour by rejecting heat to air circulated over its heat transfer surface causing a rise in the air temperature and sub-cooling of the refrigerant may occur as well;
- (c) “Basic Model Group” is a set of models that share characteristics which allow the performance of one model to be representative of the performance of other models within the group. Within a given range of cooling capacity and a Basic Model Group shall comprise of chiller models, lying in the same star level band with similar energy performance in terms of star level and range of Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio value.
- (d) “Coefficient of Performance” means the ratio of the cooling capacity in kilo watts to the total power input in kilo watts. Definition of coefficient of Performance relates to chiller unit only;
- (e) “Condenser” means a refrigeration system component which condenses refrigerant vapour. Sub-cooling of the refrigerant may occur as well;
- (f) “Condenser Heat Rejection Capacity” means the heat removed by the heat transfer medium of the condenser per unit of time (kilowatt);
- (g) “Cooling Capacity” means the heat given off from the liquid to the refrigerant per unit of time, (kilowatt);
- (h) “Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio” is the ratio of the total annual amount of heat that the equipment can remove from the indoor air when operated for cooling in active mode to the total annual amount of energy consumed by the equipment during the same period;
- (i) “Liquid-Chilling Packages (chillers)” means a refrigeration machine using the vapour compression cycle.
- (j) “Liquid Refrigerant Temperature” means the temperature of the refrigerant entering the expansion device (°C);
- (k) “Performance Rating” means the performance data over the operating range of the unit at various load in the form of performance curves or catalogue or output from a computer selection code;

NOTE: The published ratings are the ratings declared by the manufacturer in any form as defined.

- (l) “Standard Rating” means a rating based on standard rating conditions;
- (m) “Total Power Input of the System” means power input of all components of the unit in operation.
- (n) “Water-Cooled Condenser” means a component which utilizes refrigerant-to-water heat transfer means, causing the refrigerant to condense and the water to be heated and sub cooling of refrigerant may occur as well:

Note: For any dispute the definitions given in IS 16950 with all amendments shall prevail.

- (2) Words and expressions used herein but defined in the Bureau of Indian standard shall have meanings, assigned to them in the Indian Standard 16950 with all amendments.

3. Pre-qualification criteria and Star rating plan. —(1) To become eligible for star rating given under sub-paragraph (3) and every chiller shall meet the minimum coefficient of performance across all star level as provided in Table 1 and Table 2 for water cooled and air-cooled condenser chiller category respectively.-

Table 1
Minimum COP for water cooled condenser (for 100% Load)

kW of cooling	COP required
<260	4.2
>=260 &<530	4.7
>= 530 &<1050	5.0
>=1050 &<1580	5.2
>=1580	5.6

Table 2
Minimum COP for air cooled condenser (for 100% Load)

kW of cooling	Minimum COP required
<260	2.4
>=260	2.6

(2) The label to be affixed on each chiller shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the chiller shall be rated for its performance from star one to star five based on Indian seasonal energy efficiency value.

(3) Every chiller shall refer to energy consumption standards which meet the performance requirements as laid down in clause (1) (a).

(4) The chillers having water cooled or air-cooled condenser shall meet the requirement of Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio as per the Tables 3 and 4 as applicable. The star level chosen for the models shall be based on minimum and maximum limits of their relative energy efficiencies of each star level band as shown in tables below.

Table 3
Star Rating levels for water cooled chiller

Table Validity Period 1 st January, 2024 to 31 st December, 2025					
kW of cooling	ISEER				
	1 Star	2 Star	3 Star	4 Star	5 Star
<260	4.80	5.20	5.60	6.10	6.60
>=260 &<530	5.00	5.60	6.20	6.80	7.40
>= 530 &< 1050	5.50	6.10	6.70	7.40	8.20
>= 1050 &<1580	5.80	6.50	7.20	7.90	8.70
>=1580	6.00	6.70	7.40	8.20	9.00

Table 4
Star Rating levels for air cooled chiller

Table Validity Period 1 st January, 2024 to 31 st December, 2025					
kW of cooling	ISEER				
	1 Star	2 Star	3 Star	4 Star	5 Star
<260	3.00	3.30	3.60	4.00	4.40
>=260	3.10	3.50	3.90	4.30	4.70

- (5) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period specified under Table 3 and Table 4 and thereafter, the star level plan shall be reviewed every two years or before the expiry of the label validity period whichever is earlier.
- (6) Capacity of chiller at 39°C shall be declared by the manufacturer. This capacity shall be determined by physical testing or through approved software.

4. Testing Guidelines –

- (1) Every chiller shall be tested in accordance with the latest version of IS 16590 with all amendments.
- (2) Every chiller shall accompany the manufacturer's energy performance software test reports in the Basic Model Group using the tool/software approved by any national or international accreditation or certification agency. The energy performance software report shall also contain the coefficient of performance values at 25 percent, 50 percent, 75 percent and 100 percent load and Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio value as per the test methods and test conditions mentioned in Annex B of IS 16590. In addition to software-based test report, manufacturer is required to also submit the physical test report for parent model under each basic model group in respect of test results of Cooling capacity, Power Consumption and Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio in accordance with the test conditions mentioned in IS 16590 with all amendments.
- (3) The performance tests shall be conducted in accordance with the standard rating conditions stated in Table no. 1 of clause 6 of IS 16590 with all amendments.
- (4) All the measuring instruments shall have accuracy as defined in Table no. 3 of clause 10 of IS 16590 with all amendments. Permissible variation in measurement of each measured quantity shall be in accordance with Table 3 of clause 10 of IS 16590 with all amendments.

(5) Tolerance Limits:

- (1) The tolerances for Coefficient of Performance (full load and part load), Cooling Capacity (full load and part load) and Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio shall be as specified in Table 2 of clause 7.1 of IS 16950 with all amendments provided the Coefficient of Performance declared by the manufacturers does not fall below the value specified in Table 1 and 2 of this order for water cooled and air-cooled condenser respectively.
- (2) Full load capacity and full load, part load Coefficient of Performance shall not be less than 100 percent of the rating minus the allowable tolerance calculated using the equation provided in Table 2 of Clause 7.1 of IS 16950 with all amendments.
- (3) There shall be no negative tolerance on the performance matrix; Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio value specified for each star rating level and all tested equipment shall meet the minimum threshold for each star rating level.
- (4) All the values shall be recorded to three significant figures. The Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio and Coefficient of Performance value shall be rounded off to two significant figures in accordance with IS 2: 1960 'Rules for rounding off numerical values (with all amendments)'.

5. Test report.—The results of the chiller sample tested shall be reported on the prescribed format given in Annexure A.

[F. No. 10/11/2022-EC]

AJAY TEWARI, Additional Secy.

Annexure A

[See paragraph 5]

Form for reporting the results of tests
(Separate test report format shall be used for each type/model)

Test Report No.

Date of Test Report:

1. General Information

Manufacturer/Laboratory name	
Address	
Date of receipt of sample by the test laboratory	
Laboratory Accreditation number	
Validity of the accreditation of the Test laboratory	

Tested by	
Approved by	
Date of testing	

2. Details of samples tested and rated values

Brand name	
Basic Model Group	
Model 1, Model 2, Model 3	
Serial number	
Year of manufacture	
Rated voltage	
Rated Frequency	
Type of condenser (water cooled/air cooled)	
Rated cooling capacity	
Rated COP	
Rated ISEER	

3. Test Results

S. No.	Schedule of Tests	Declared value	Measured value
1	Cooling capacity kW (at 25% load)		
2	Cooling capacity kW (at 50% load)		
3	Cooling capacity kW (at 75% load)		
4	Cooling capacity kW (at 100% load)		
5	Power consumption at 25 % load		
6	Power consumption at 50 % load		
7	Power consumption at 75 % load		
8	Power consumption at 100 % load		
9	COP- (at 25% load)		
10	COP-(at 50% load)		
11	COP-(at 75% load)		
12	COP-(at 100% load)		
13	ISEER		

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2023

का.आ. 4089(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, स्पेस शीतलन के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाष्प संपीड़न प्रकार के एकल चरण के लिए 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी तक की रेटेड वोल्टेज के साथ और तीन चरणों की बिजली आपूर्ति के लिए 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज रेटेड वोल्टेज के साथ चिल्लरों का उपयोग विनिर्दिष्ट करती है और निदेश देती है कि विनिर्मित या विक्रय या क्रय या भारत में विक्रय के लिए आयात किए जा रहे ऐसे किसी साधित्र या

Tested by	
Approved by	
Date of testing	

2. Details of samples tested and rated values

Brand name	
Basic Model Group	
Model 1, Model 2, Model 3	
Serial number	
Year of manufacture	
Rated voltage	
Rated Frequency	
Type of condenser (water cooled/air cooled)	
Rated cooling capacity	
Rated COP	
Rated ISEER	

3. Test Results

S. No.	Schedule of Tests	Declared value	Measured value
1	Cooling capacity kW (at 25% load)		
2	Cooling capacity kW (at 50% load)		
3	Cooling capacity kW (at 75% load)		
4	Cooling capacity kW (at 100% load)		
5	Power consumption at 25 % load		
6	Power consumption at 50 % load		
7	Power consumption at 75 % load		
8	Power consumption at 100 % load		
9	COP- (at 25% load)		
10	COP-(at 50% load)		
11	COP-(at 75% load)		
12	COP-(at 100% load)		
13	ISEER		

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2023

का.आ. 4089(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, स्पेस शीतलन के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाष्प संपीड़न प्रकार के एकल चरण के लिए 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी तक की रेटेड वोल्टेज के साथ और तीन चरणों की बिजली आपूर्ति के लिए 400 वोल्ट, 50 हर्ट्ज रेटेड वोल्टेज के साथ चिल्लरों का उपयोग विनिर्दिष्ट करती है और निदेश देती है कि विनिर्मित या विक्रय या क्रय या भारत में विक्रय के लिए आयात किए जा रहे ऐसे किसी साधित्र या

साधित्रों के वर्ग पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लरों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति में लेबलों पर विशिष्टियों का संप्रदर्शन किया जाएगा।

[फा. सं. 10/11/2022- ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September 2023

S.O. 4089(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the Chillers of vapour compression type being used for space cooling with rated voltage up to and including 250 V, 50 Hz AC, for single phase and up to and including 400V, 50Hz AC for three phase power supply and direct that any such equipment or class of equipment being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2023.

[F. No. 10/11/2022-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248972
CG-DL-E-25092023-248972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2023/भाद्र 30, 1945

No. 650]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2023/BHADRA 30, 1945

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2023

सं. बीईई/एसएंडएल/चिल्लर्स/40/2021-22.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022” को राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं. बीईई /एसएंडएल/चिल्लर्स/40/2022-23, तारीख 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियम की राजपत्रित प्रतियां जनता को 28 अक्टूबर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियम के बाबत जनता से कतिपय आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस बाबत प्राप्त सुझाव पर विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52), की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ड) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है ;
- (ख) "बेसिक मॉडल ग्रुप" से उन मॉडलों का समूह अभिप्रेत है जिनकी विशेषताएं समान हैं और जो एक मॉडल के प्रदर्शन को समूह के भीतर अन्य मॉडलों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीतलन क्षमता की एक निश्चित सीमा के भीतर, एक बेसिक मॉडल ग्रुप में वे चिल्लर मॉडल सम्मिलित होंगे, जो भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के संदर्भ में समान ऊर्जा प्रदर्शन के साथ एक ही स्टार लेबल बैंड में रखे होंगे।
- (ग) "चाइल्ड मॉडल" से वह मॉडल अभिप्रेत है जिसकी कूलिंग क्षमता किलोवाट में होगी, जो उसी बेसिक मॉडल ग्रुप में मूल मॉडल की कूलिंग क्षमता से कम होगी।
- (घ) "चिल्लर्स" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एक साधित्र अभिप्रेत है;
- (ङ.) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (च) "लेबल" से किसी भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या रेखाचित्रिय पदार्थ अभिप्रेत है जो चिल्लर पर चिपकाया गया है या उस पर दिखाई दे रहा है;
- (छ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत उपभोग मानकों की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है:
- परंतु यदि लेबल विधिमान्यता अवधि की समाप्ति की समय-सीमा तक, अधिनियम की धारा 14 (क) के अधीन नए विद्युत उपभोग मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, विद्यमान मानकों को तब तक विधिमान्य समझा जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते;
- (ज) "पेरेंट मॉडल" से संबंधित बेसिक मॉडल ग्रुप की शीतलन क्षमता सीमा के भीतर किलोवाट में उच्चतम शीतलन क्षमता वाला एक चिल्लर मॉडल अभिप्रेत है।
- (झ) "अनुज्ञापत्रधारी" से एक व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है;
- (ञ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ट) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आईएसईईआर के मानको के आधार पर चिल्लर्स के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता की श्रेणी अभिप्रेत है;
- (ठ) किसी चिल्लर के बाबत "व्यापारी या विक्रेता" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे चिल्लर को बेचता है या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं जिन्हें ऐसे चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां (1) प्रत्येक चिल्लर पर निम्नलिखित विशिष्टियां उनके लेबल पर संप्रदर्शित की जाएंगी अर्थात् :-

- (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

- (ख) साधित्र या प्रकार;
- (ग) विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और ब्रांड;
- (घ) बेसिक मॉडल ग्रुप या मॉडल और विनिर्माण या आयात का वर्ष;
- (ङ.) यूनिक श्रृंखला कोड;
- (च) शीतलन प्रौद्योगिकी;
- (छ) संपीडक प्रकार;
- (ज) शीतलन क्षमता;
- (झ) भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात;
- (ञ) कुल विद्युत इनपुट;
- (ट) लेबल की अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और विषय-वस्तु इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

4. लेबल संप्रदर्शित करने की समय-सीमा- (1) स्वैच्छिक से आज्ञापक व्यवस्था तक पारगमन- विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला एक लेबल इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक चिल्लर पर संप्रदर्शित किया जाएगा।

(2) आज्ञापक ऊर्जा उपभोग मानकों का पुनरीक्षण- अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित विद्युत उपभोग मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता;-

- (क) पिछले ऊर्जा उपभोग मानकों वाले चिल्लर का उत्पादन नहीं करेगा;
- (ख) पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ तुल्यकालन करते हुए पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानक के साथ पुनरीक्षित स्टार स्तर और लेबल अवधि और चिल्लर का विनिर्माण वर्ष संप्रदर्शित किया जाएगा;

परंतु सुचारू पारगमन के लिए, विनिर्माता पुनरीक्षित ऊर्जा निष्पादन मानकों के साथ ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो मास पहले उत्पाद का उत्पादन या आयात करेगा;

- (ग) व्यवहारियों, खुदरा विक्रेताओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित प्रचार सहित प्रारंभिक कदम सुनियोजित हों और कार्रवाई तीन मास पहले की गई जाए।

5. लेबल संप्रदर्शित करने की रीति - (1) बिक्री के स्थान पर प्रत्येक चिल्लर पर निम्नलिखित रीति से लेबल चस्पा किया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) लेबल चिल्लर पर और उसकी नामपट्टिका के पास मजबूती से चस्पा किया जाएगा।
- (ख) लेबल टिकाऊ सामग्री (एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड) का होगा और इस विनियम से उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए आकार के अनुसार मुद्रित किया जाएगा।

(2) संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री की नामपट्टिका चिल्लर पर चिपकाई जाएगी। अनुसूची द्वारा अपेक्षित अंकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होने चाहिए।

6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा- (1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी चिल्लर पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

(2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण - ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड प्ररूप 1 - (क) में यथानिर्दिष्ट प्रथक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जिसमें एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभूति फीस होगा, जो संदाय के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है:

परंतु लघु उद्योग के मामले में लेबल प्रतिभूति फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगी;

(3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण- उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए की आवेदन फीस, जो संदाय के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है; और

(ख) प्ररूप-1 - (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज

7. अनुज्ञा प्रदान करना. -(1) विनियम 6 के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर और समाधान होने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो, घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग का प्रसार अपने मैनुअल (ब्यूरो का मानकों और लेबलिंग पर परिचालन मैनुअल) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर सकता है। ऐसी प्राप्ति, अनुदान की तारीख, विनियम 8 में यथानिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन हो सकेगा, जो -

(क) ब्रांड को प्ररूप 2- (क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रीकृत करें; तथा

(ख) प्ररूप 2- (ख) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में चिल्लर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करना।

(2) ब्यूरो प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट एक रजिस्टर बनायेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर लागू है।

(4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापत्रधारी द्वारा एक मास के लिए किया जाएगा किंतु इसकी समाप्ति के पहले नहीं किया जाएगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक हजार रुपए की फीस के साथ देय होगा।

परंतु, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए की उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।

(5) उपविनियम (4) के अधीन नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और समाधान होने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, प्ररूप 2 - (ख) में अनुज्ञा का नवीनीकरण कर सकेगा।

(6) विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन करना होगा।

(7) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी जो उस तारीख से चिल्लर के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा चाहता है, जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त होता है, वह प्ररूप 4 के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) अनुज्ञापत्रधारी नए सिरे से लेबल लगाने के लिए अनुज्ञा लेने का प्रयास करेगा, यदि चिल्लर के नए मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ तुल्यकालन किया जाना है, और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर के प्रवृत्त होने के छह मास पहले किया जाएगा।

8.लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, विक्रेता या व्यापारी लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्: -

- (क) चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल केवल चिल्लर के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा की मंजूरी दी गई है;
- (ग) अनुज्ञापत्रधारी अपनी लागत पर लेबल को चिल्लर पर चिपकाएगा;
- (घ) चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल सभी समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
- (ङ.) विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;
- (च) लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यूरो से अंतर्विष्ट विशिष्टियां और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत फीस ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी;
- (छ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के 30वें दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्राधिकृत वितरकों, व्यवहारियों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी; और
- (ज) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें ब्यूरो घरेलू उपकरणों के लिए जारी मानकों और लेबलिंग पर ब्यूरो के प्रचालन मैनुअल में निहित निबंधनों सहित विनिर्दिष्ट करेगा (ब्यूरो का मानकों और लेबलिंग पर परिचालन मैनुअल)।

9. लेबल फीस: - (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को चिल्लर पर इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर तीन रुपए प्रति किलोवाट की लेबल फीस का संदाय करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी:

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (क) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस उस पर दस प्रतिशत की दर से ब्याज सहित संदत्त शोध रकम वसूल कर सकेगा और यदि संदाय की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर लेबलिंग फीस की कुल रकम की वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकेगा और समाचार पत्रों में व्यतिक्रम के रूप में अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रकाशित कर सकेगा।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदाय: - विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी चिल्लर का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति फीस के संदाय का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) चिल्लर विनिर्माता ऑनलाइन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पोर्टल में त्रैमासिक रूप से स्टार रेटिंग कार्यक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिल्लर के बारे में चिल्लर उत्पादन कार्यक्रम और वितरण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

(2) चिल्लर का चेक परीक्षण या तो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निर्माता परीक्षण प्रयोगशाला में या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या किसी अन्य द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी तीसरे पक्ष या स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला या एशिया पसिफिक प्रत्यायन सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के साथ पारस्परिक मान्यता प्राप्त निकाय में किया जाएगा।

(3) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतिनिधि की उपस्थिति में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायन प्राप्त स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला या इन-हाउस विनिर्माता की परीक्षण प्रयोगशाला में चिल्लर के लिए जांच परीक्षण आयोजित किया जाएगा।

(4) ब्यूरो या उसकी नामित अभिकरण, या तो स्वतः संज्ञान लेकर या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण कर सकती है कि चिल्लर स्टार स्तर और उसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और यह अनुज्ञा की अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करता है।

परंतु चुनौती परीक्षण की प्रक्रिया वही होगी जो विनियम (11) के उप-विनियम (3) में उल्लिखित है।

(5) चिल्लर मॉडल के लिए प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो या नामित अभिकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिए गए अनुमोदन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता के परिसर में परीक्षण रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी।

(6) यदि चेक परीक्षण के लिए चुना गया एक नमूना पहले चेक परीक्षण के दौरान विफल हो जाता है, तो निर्माता को दूसरे चेक परीक्षण के लिए उसी मॉडल का अतिरिक्त नमूना पेश करने का एक और अवसर दिया जाएगा और दूसरे चेक परीक्षण के दौरान, यदि चिल्लर फिर से विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित लागू होगा-

(क) सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचना के अधीन, प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर अनुज्ञापत्रधारी, -

- (i) चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर में सुधार करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लेगा; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा।

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में किसी भी अनुज्ञापत्रधारी, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश का नाम और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा, जो वह दो मास के भीतर ठीक समझे;

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो चिल्लर मॉडल और संबद्ध बेसिक मॉडल ग्रुप की मंजूरी रद्द करेगा।

(घ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

(ङ.) निर्माता की घोषणा के अनुसार गैर-अनुपालन की स्थिति में, निर्माता को संबंधित मूल मॉडल समूह के लिए प्रदर्शन के डी-रेटेड गुणांक या भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात के साथ फिर से एक नया आवेदन जमा करना होगा।

टिप्पण : किसी भी विफलता के मामले में ब्यूरो का निर्णय विनियमन (11) के उप-विनियम (6) के खंड (क) से खंड (ङ.) के अनुसार किया जाएगा।

(7) अनुज्ञापत्रधारी, विनियम 11 के उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि की समाप्ति के दस दिनों के भीतर, निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण : - ब्यूरो विनियम 7 के अधीन दी गई अनुज्ञा को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी-

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है;
- (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है; और

परंतु कोई भी अनुज्ञा अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।


अनुसूची

[दिखें विनियमन 3 के उप-विनियम (2)]
चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित होने वाली विशिष्टियां

1. लेबल डिजाइन

(i) आयाम

(क) चिल्लर की नाम पट्टिका के पास चिपकाए जाने वाले लेबल का आयाम




(ii) लेबल के लिए रंग योजना :

नेवी ब्लू - सी: 97, एम: 95, वाई: 6, के: 1

हरा - सी: 81, एम: 10, वाई: 90, के: 1

टिप्पण: ब्यूरो का लोगो और स्टार फिलर के नीचे केवल हरे रंग में तथा सभी फोंट और ब्यूरो के लोगो का शीर्ष नीले (नेवी ब्लू) में



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लोगो की रंग योजना:


नीला -

रंगत (एच) -2390 संतृप्ति (एस): 64% चमकीलापन (बी): 59%
 ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 28, रंग संबंधी घटक - ए:24 बी:54
 लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151
 सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%
 वेब रंग कोड - # 363797;

हरा-

रंगत (एच) -1500 संतृप्ति (एस): 10% चमकीलापन (बी): 67%
 ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 61, रंग संबंधी घटक- ए:53 बी:32
 लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87
 सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%
 वेब रंग कोड - # 00एए56;

(iv) चिल्लर के मुद्रित लेबल के लिए पूरा नमूना निम्न है: अर्थात्-



2.लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ सामग्री (एल्यूमीनियम एनोडाइज्ड) का होगा और लेबल के लिए आयाम और डिज़ाइन को योजना में दिखाई गई रूपरेखा के अनुसार मुद्रित किया जाएगा। संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री की नाम पट्टिका चिल्लर पर स्थायी रूप से चिपकाई जाएगी। अनुसूची द्वारा अपेक्षित अंकन सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होने चाहिए।

प्रपत्र I - (क)

[देखें विनियम 6 का उपनियम (2) देखें]

(कंपनी के शीर्षनामा पर मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन चिल्लर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली - 110 066,

भारत

- मैं/हम जो चिल्लर के विनिर्माणकर्ता / विनिर्मित हूँ/ हैं में (कारबार का पूरा नाम) अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारबार चला रहा हूँ / चल रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।
- उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और संदाय के बाबत जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र या फर्म के नाम तथा उसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटोप्रति संलग्न की जाती है।
 - आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति:को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकरणों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
 - संपर्क व्यक्तिको (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के बाबत ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।
 - मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
- उक्त उपस्कर के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरी/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, और प्राक्कलन निम्न प्रकार से है:

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (₹.)
पिछले वर्ष..... से.....तक चालू वर्ष से.....तक (प्राक्कलन)			

- यथास्थिति एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए की लेबल प्रतिभूति फीस, इलेक्ट्रॉनिक मोड बीजक संख्यातारीख द्वारा संदत्त किया गया है।
(केवल लेबल प्रतिभूति फीस जमा करने के समय ही भरा जाना है)।
- मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहकारिता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वात्तम ज्ञान में सही है, और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख दिन..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध 1

[प्ररूप 1 - (क) का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक: (क) विविनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को अधिप्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र (ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि प्रवृत्त हो (घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र	हाँ/नहीं
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र (च) भारतीय मानक प्रमाणन अनुज्ञप्ति के विधिमान्य ब्यूरो की प्रति यदि लागू हो (छ) संदाय ऑनलाइन किए जाने के मामले में संदाय रसीद	

2. विविनिर्माण परिसर के ब्यौरे (एक से अधिक विविनिर्माण सुविधाओं के मामले में पृथक सारणी उपबंधित की जाए)

विविनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य ब्यौरे (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप I - (ख)

[विनियम 6 का उपविनियम (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबल के उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन चिल्लर पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन, सेक्टर-1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत

1. मैं/हम ब्रांड नाम के अधीन चिल्लर के रजिस्ट्रीकृत विनिर्माणकर्ता हूँ/हैं
.....(ब्रांड का नाम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया यूनिक लेबल श्रृंखला कोड है
.....
2. उपरोक्त उपस्कर (कंपनी का नाम) द्वाराके ब्रांड नाम में विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित होता है।
3. उपकरण, उत्पाद परीक्षण प्रमाण पत्र, लेबल और संदाय के बाबत जानकारी के ब्यौरे उपाबंध में दिए गए हैं और संबंधित फोटोप्रति इसके साथ संलग्न हैं।
4. मानकों के अनुरूप: मैं/हम (उपस्कर का नाम) के लिए को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट/सुसंगत भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक (मानक का नाम और संख्या) के अनुसरण में गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र की प्रक्रिया द्वारा चिल्लर को विनिर्मित या आयातित करने की पुष्टि करता हूँ।
मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है, जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकारिता या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकारिता द्वारा प्रत्यायित है या समतुल्य निकाय उपस्कर की गुणवत्ता के साथ-साथ सुसंगत भारतीय मानकों/मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन/कानूनी आदेश में यथाविनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों की परिधि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए
प्रयोगशाला के ब्यौरे :
(क) प्रत्यायन निकाय:
(ख) प्रत्यायन प्रास्थिति:
(i) प्रयोगशाला के लिए: (हाँ/नहीं)
(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (सुसंगत उत्पाद मानक नाम/संख्या विनिर्दिष्ट करें)
(ग) ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन (हाँ/नहीं)
5. बीजक तारीख..... के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा दो हजार रुपए की आवेदन फीस संदत्त की गई।
6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट चिल्लर पर चिपकाए जाने वाले प्रत्येक लेबल के लिए लेबलिंग फीस तीन रुपए प्रति लेबल का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करता हूँ/ करते हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के मामले में सभी आवश्यक सहायता / सहयोग का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूँ/ करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसरण में सही है और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख दिन..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध I

[प्ररूप I (ख) का पैरा 3 देखें]

जानकारी का विवरण

1. उत्पाद / उपस्कर का ब्यौरा

1.1 साधारण (जैसा लागू हो विवरण भरें)

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्या
क्रमांक
उत्पादन का वर्ष
रेटेड वोल्टेज
रेटेड फ्रिक्वेंसी
कंडेंसर का प्रकार (वाटर कूलड/एयर कूलड)
रेटेड शीतलन क्षमता
रेटेड सीओपी
रेटेड आईएसईईआर
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विवरण (जो लागू हो ब्यौरों को पूरा करें)

क) परीक्षण किए गए मान:

क्र. सं.	मापित मान	रेटेड मान
1.	शीतलन क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	शीतलन क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
2.	विद्युत का उपभोग - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	विद्युत का उपभोग - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
3.	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर

	- 75% लोड पर - 100% लोड पर		- 75% लोड पर - 100% लोड पर	
4.	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)		भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)	

2. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (i) प्रयोगशाला के लिए (ii) सुसंगत मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां / नहीं
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थक दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	


3. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए स्टार लेबल और प्रवृत्त की जाने वाली इकाइयों की संख्या क) प्रथम वर्ष के लिए - ख) दूसरे वर्ष के लिए - ग) तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रम सं.	----- से ----- तक

4. मॉडल के ब्यौरे :

मॉडल	मॉडल का नाम/मॉडल नंबर

5. चिल्लर पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है:



तारीख:

हस्ताक्षर
 नाम.....
 पदनाम.....
 के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)
 फर्म की मुहर

प्ररूप 2 - (क)

[विनियम 7(1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन चिल्लर के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इस पत्र के उपाबंध में दिए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसरण में अपने ब्रांड को रजिस्टर करने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है-
 - (क) चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित चिल्लर के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) चिल्लर के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाना जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर चिल्लर पर लेबल मुद्रित किया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करता है कि चिल्लर पर संप्रदर्शित स्टार लेबल हर समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा ;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों का एक विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी चिल्लर के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और चिल्लर को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समनुदेशित यूनिक लेबल श्रृंखला कोड है और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसरण में लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. यह तारीखमास का दिन.....वर्ष को हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया गया है।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध ।

[प्ररूप III का पैरा 1 देखें]
अनुमोदनों के ब्यौरे

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	

1. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:
2. यूनिक श्रृंखला कोड:
3. अन्य ब्यौरे (यदि लागू हो):

तारीख.....

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप II-(ख)

[विनियम 7 का उप-विनियम (1) और उप-विनियम (6) का खंड (ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा/नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस उपाबंध में उपवर्णित अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसरण में लेबल चिपकाने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा इस शर्त के अधीन है कि -
 - (क) चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित चिल्लर के लिए ऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप होगा;
 - (ख) चिल्लर के केवल ऐसे मॉडल के लेबल पर मुहर लगाई जाएगी जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर चिल्लर पर लेबल को मुद्रित या चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि चिल्लर पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सभी समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ.) चिल्लर पर चिपकाए जाने वाले प्रत्येक लेबल के लिए अनुज्ञापत्रधारी प्रति लेबल तीन रुपए प्रति किलोवाट की लेबल फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों का एक विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) वही ब्यौरे एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (ज) अनुज्ञापत्रधारी चिल्लर के ऐसे अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. यह अनुज्ञा..... से.....तक प्रभावी और विधिमान्य होगी और इसे नवीकृत किया जा सकेगा। अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञा की विधिमान्यता अवधि के दौरान बाजार से चिल्लर को वापस नहीं लेगा।
4. यह तारीख मास का दिन वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया और मुहरबंद किया गया।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध I
[प्ररूप 4 का पैरा 1 देखें]
अनुमोदन के ब्यौरे

1. उपस्कर के ब्यौरे

- (क) ब्रांड:
(ख) बेसिक मॉडल ग्रुप
(ग) मॉडल विवरण:

क्रमांक	मॉडल प्रकार (पेरेंट / चाइल्ड मॉडल)	मॉडल का नाम / संख्या

(टिप्पण: सारणी में उपरोक्त बेसिक मॉडल ग्रुप के अधीन सभी मॉडलों (पेरेंट और चाइल्ड मॉडल) के ब्यौरे सम्मिलित होंगे)

(घ) तकनीकी विनिर्देश :

क्र. सं.	मापित मान	रेटिड मान
1.	शीतलन क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	शीतलन क्षमता - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
2.	विद्युत का उपभोग - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	विद्युत का उपभोग - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
3.	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर	प्रदर्शन का गुणांक (सीओपी) - 25% लोड पर - 50% लोड पर - 75% लोड पर - 100% लोड पर
4.	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)	भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात (आईएसईईआर)

(टिप्पण: सारणी में उपरोक्त बेसिक मॉडल ग्रुप के अधीन सभी मॉडलों (पेरेंट और चाइल्ड मॉडल) का विवरण सम्मिलित होगा)

2. लेबल के ब्यौरे

साधित्र और प्रकार	
विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम	
बेसिक मॉडल ग्रुप/मॉडल/विनिर्माण या आयात का वर्ष	
यूनिक श्रृंखला कोड	
शीतलन तकनीक	

संपीडक का प्रकार	
शीतलन क्षमता	
कुल विद्युत इनपुट	
लेबल विधिमान्यता अवधि	
उद्गम देश	
रेटेड आईएसईईआर	
स्टार रेटिंग	

3. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग स्कीम की सामग्री इस विनियमों की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसरण में होगी।

4. चिल्लर्स पर चिपकाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है (मॉडल की श्रेणी के लिए अलग नमूने उपाबद्ध हैं)



पत्र में यूनिंक लेबल श्रृंखला कोड दिया गया है जिसे चिल्लर पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाता है।

तारीख

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 3

[विनियम 7 का उपविनियम (2) देखें]

अनुज्ञापत्रधारियों का रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदन संख्या और अनुज्ञा-पत्र की तारीख।	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फ़ोन) नंबर, फ़ैक्स नंबर, ई-मेल, वेबसाइट।	उन उपस्करों के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई है।	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रृंखला।	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा मंजूर की गई हो।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	लेबल प्रतिभूति फीस की रकम	(इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:) द्वारा प्राप्त लेबल प्रतिभूति फीस	आवेदन फीस प्राप्त रकम के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:):।			
	(8)	(9)	(10)			
	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में चिपकाए गए लेबलों की संख्या।	देय लेबलिंग फीस की रकम।	प्राप्त रकम का लेबलिंग शुल्क विवरण इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख से प्राप्त रकम की लेबलिंग फीस के ब्यौरे	टिप्पणियां		
	(11)	(12)	(13)	(14)		

प्ररूप 4

[विनियम 7 का उपविनियम (7) देखें]

चिल्लर के विद्यमान पहले ही अनुमोदित मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की गयी घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय/अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख:

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर के पुरम,

नई दिल्ली-110066

भारत।

विषय: से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023) के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

1. मैं/हम चिल्लर के विनिर्माता/आयातकर्ता हूँ। जो (कंपनी के पूरे पते के साथ नाम) (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) के अभिनाम से कारबार चला रहा हूँ/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 में, ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ। करते हैं जो से स्टार लेबल पर पुनरीक्षण के लिए जाएगा।
2. उपरोक्त उपस्कर (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) पर विनिर्मित किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;
3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम चिलर्स के लिए का.आ. संख्या तारीख..... में विनिर्दिष्ट सारणी के अनुसार सारणी परिवर्तन के अनुरूप हूँ। उपरोक्त उपस्कर (जो पूर्वतर अनुमोदित किए गए थे) के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।
4. चिलर्स के बाबत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसरण में) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसरण में उपस्कर/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम _____

विशिष्टियां	घोषित मान	
शीतलन क्षमता	--	
कुल विद्युत उपभोग	--	
सीओपी	--	
भारतीय आवर्तक ऊर्जा दक्षता अनुपात	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसरण में)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसरण में)

6. मैं/हम मैन्युअल आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) से (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में परिवर्तन के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने/हमने उक्त चिल्लर मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग फीस जमा कर दी है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहकारिता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम वचन देता हूँ/देंते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचनाएं मेरे/हमारे सर्वात्तम ज्ञान के अनुसरण में सही हैं, और यदि दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम 11 का उप-विनियम (6) देखें]

जांच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञाधारी को निदेश

तारीख.....

सेवा में,

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख में विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन में चिल्लर्स पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

1. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। चिल्लर मॉडल के सत्यापन परीक्षण ने इंगित किया है कि नमूना चिल्लर ऊर्जा प्रदर्शन मानदंडों (शीतलन क्षमता, ऊर्जा की उपभोग, आईएसईईआर) को पूरा करने में विफल रहा है और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ प्ररूप-1 में संलग्न विवरण के अनुरूप नहीं था। सत्यापन परिणाम आपको आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम से ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख के माध्यम से भेजे गए थे।

3. जांच परीक्षण के परीक्षण परिणाम संलग्न हैं जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्यायन प्राप्त प्रयोगशाला के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सक्षम अधिकृत कर्मियों द्वारा पूरी तरह से जांचे गए और प्रतिहस्ताक्षरित हैं। जांच परीक्षण गतिविधि के गवाह के रूप में आपके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच परीक्षण रिपोर्ट पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे का.आ. संख्या तारीख में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित और बाजार में बेचे जाने वाले चिल्लर्स पर चिपकाए गए लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुज्ञा के नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते।

4. ब्यूरो आपको चिल्लर के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को ठीक करने या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करने का निदेश देता है; ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लें; और विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विवरणों को बदलें।

5. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो माह के भीतर उपरोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो माह की समाप्ति के बाद दस दिनों के भीतर प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया जाता है, अर्थात् यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो इन विनियमों के अधीन आगे की कार्रवाई करेगा।

6. ब्यूरो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार आगे और अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 6

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
[विनियम 11 का उप-विनियम (7) देखें]
(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख :

सेवा में,

सचिव,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110 066 भारत।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, हम मेसर्स को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र सं. तारीख..... के द्वारा मॉडल के लिए ऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप चिल्लर के विनिर्माता को चिल्लर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (चिल्लर्स के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियमन 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख..... के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों के आलोक में, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	कार्रवाई निर्देशित	स्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए चिल्लर्स के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं	तारीख से स्टार लेबल को स्टार से स्टार करके ठीक कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। तथा	हां/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विनिर्माणाधीन चिल्लर इकाई पर संप्रदर्शित होने वाले विशिष्टियोंको बदलें	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपर्युक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसरण में सही है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./432/2023-24]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2023

No. BEE/S&L/Chillers/40/2021-22.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2022, were published *vide* notification number BEE/S&L/Chillers/40/2022-23 on dated 28th October, 2022, Extraordinary, Gazette of India, Part III, Section 4 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas, Gazette copies of the said draft regulations were made available to the public on 28th October, 2022;

And, whereas, certain objections or suggestions have been received from the public with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And, whereas, the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Basic Model Group” means group of models that share characteristics which allow the performance of one model to be representative of the performance of other models within the group. Within a given range of cooling capacity, a Basic Model Group shall comprise of chiller models, lying in the same star level band with similar energy performance in terms of Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio.
- (c) “Child model” means shall have cooling capacity in kilowatt, less than that of the cooling capacity of the parent model in the same Basic Model Group.
- (d) “Chillers” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (e) “Form” means a form appended to these regulations;
- (f) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the Chiller;
- (g) “label period” means the validity period of the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy consumption standards under section 14 (a) of the Act is not notified, the existing standards shall deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (h) “Parent Model” means shall be a chiller model with highest cooling capacity in kilowatt, within the cooling capacity range of respective Basic Model Group.
- (i) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (j) “Schedule” means the schedule annexed to these regulations;
- (k) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the chillers based on Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

- (1) “trader or seller” in relation to any chiller means a person who sells or distributes such chiller and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such chiller.

(2) Words and expressions used herein and not defined in the Act, shall have meanings assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label. – (1) On every chiller, the following particulars shall be displayed on its label, namely:—

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) appliance or type;
- (c) name of manufacturer or importer and brand;
- (d) Basic Model Group or Model and year of manufacturing or import;
- (e) unique series code;
- (f) cooling technology;
- (g) compressor type;
- (h) cooling capacity;
- (i) Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio;
- (j) total power input; and
- (k) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels. – (1) **Transition from Voluntary to Mandatory regime.**— A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every chiller within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) **Revision of Mandatory Energy Consumption Standards.** – On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller,—

- (a) shall not produce the chiller with the previous energy consumption standards;
- (b) the chiller shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the chiller in synchronization with revised energy consumption standards; and

Provided that for smooth transition, manufacturer shall produce or import the product two months in advance from the date of such commencement with the revised energy performance standards;

- (c) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.

5. Manner of display of label. – (1) There shall be a label on chiller which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on chiller in the following manner, namely:—

- (a) The label shall be firmly fixed on chiller and near the nameplate of the chiller.
 - (b) The label shall be of durable material (aluminium anodized) and be printed as per the size given in the schedule attached to this regulation.
- (2) The name plate of corrosion resistant material shall be affixed on the chiller. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

6. Permission for display of label. – (1) No star label shall be affixed on a chiller without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) **Company Registration.** – For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by any acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only;

- (3) Model Registration. – Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by any other acceptable electronic mode of payment; and
 - (b) documents specified in Form I (B).

7. Grant of permission. – (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in Disseminating Star Labeling in Household Appliance (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling) from the date of such receipt, grant, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8,—

- (a) register the brand in Form II (A) or in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on chiller in Form II (B) or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub - regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided, in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II (B).

(6) No application shall be renewed after expiry of validity period; in which case the permittee shall make a fresh application.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the chiller from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the chiller is planned to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. – Every permittee, trader and seller shall,-

- (a) comply with the energy consumption standards for chiller notified under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) affix label only on such model of chiller for which permission has been granted;
- (c) affix label on the chiller at the cost of the permittee;
- (d) ensure that the star level displayed on the label of chiller shall be maintained at all time;
- (e) pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;
- (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year; and
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in Disseminating Star Labeling in Household Appliance (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling).

9. Label fee. – (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees three per kilowatt for each label being affixed on chiller;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau shall recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit paid under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6 and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission and the Bureau shall cancel the labels granted to the permittee and publish his name in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security deposit. – Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture chiller.

11. Verification by Bureau. – (1) The chiller manufacturer shall submit the chiller production schedule and delivery schedule about the chillers which are registered under star rating program, quarterly in online Bureau of Energy Efficiency portal.

(2) The check testing of chillers shall be conducted either in manufacturer's test lab duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or in a third party or independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or any other accreditation bodies having Mutual Recognition Arrangements with Asia Pacific Accreditation Co-operation or International Laboratory Accreditation Co-operation.

(3) The check testing for chillers shall be conducted at independent test laboratory or in-house manufacturer's test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories in presence of the representative of Bureau of Energy Efficiency.

(4) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu* or on a complaint received by it, carry out verification testing to ensure that the chiller conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission:

Provided the procedure for challenge testing shall be same as mentioned in sub-regulation (3) of regulation (11).

(5) Where, upon a complaint received for a chiller model, the Bureau or designated agency would verify the test records at manufacturer's premises to ensure the authenticity of the approval granted by Bureau of Energy Efficiency.

(6) Where if one sample selected for check testing fails during first check test, manufacturer shall be given another chance to offer additional sample of same model for second check test and during second check testing, if the chiller again fails, following shall apply.–

(a) direct the permittee in Form V, under intimation to all the State designated agencies, that the permittee within a period of two months shall, –

- (i) correct the star level displayed on the label of the chiller or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

(b) Bureau of Energy Efficiency shall publish, for the benefit of the stakeholders, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specific action in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in other manner as it deems fit within two months;

(c) Bureau of Energy Efficiency shall cancel the approval of chiller model and associated basic model group.

(d) Bureau of Energy Efficiency shall intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Energy Conservation Act.

(e) In case of non-compliance as per manufacturer's declaration, the manufacturer has to again submit a fresh application with de-rated Coefficient of Performance or Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio for the respective basic model group.

Note: The decision of the Bureau in case of any failure shall be made in accordance with clause (a) to clause (e) of sub-regulation (6) of regulation (11).

- (7) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6) of regulation 11 send the compliance report in Form VI to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.

12. Cancellation of permission. – The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (c) fails to comply with the directions issued under regulation 11.

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.

SCHEDULE


[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on label of chillers.

1. Label design

(i) Dimension:

(a) Dimension of the label to be affixed near the name plate of the chiller:




(ii) Colour scheme for the label :

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 ,

*Note: Bottom of Bureau's logo and star filler in **GREEN** colour only and all fonts and top of Bureau's logo in **NAVY BLUE***



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE –

Hue(H) – 239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%


Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for Chiller:



2. Label material

The label shall be durable material (aluminium anodized) and be printed as per the outlines shown in dimension and design scheme for the label. The name plate of corrosion resistant material shall be permanently affixed on the chiller. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

FORM I (A)

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed in company letter head)

Application for registration of brand of Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram,
New Delhi – 110066 India.

1. I/We are the manufacturers of Chillers carrying out business at (full business address) under the style of (Full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Chillers as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Chillers) Regulations, 2023.
2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small-Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
 - (a) Applicant/Authorised person: (Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
 - (b) Contact Person: (Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
 - (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
3. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last Year from..... to.....			
Current Year from..... to..... (estimate)			

4. A label security deposit of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees (in case of Small Scale Industries).....has been paid by electronic mode..... dated..... (To be filled only at the time of submission of label security deposit).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

.....

Signature

Name

Designation

.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure I

[See para 2 of Form I (A)]

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration: (a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (b) Trade Mark Certificate (c) SSI Certificate, if applicable (d) Quality Management System Certificate (e) Authorised Signatory Letter (f) BIS License, if applicable (g) Payment receipt in case payment is made online	Yes/No

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin Code	
State / Country	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM I (B)

[See sub-regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023

The Director General
Bureau of Energy Efficiency,
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector-I, R.K. Puram,
New Delhi – 110066 India.

1. I/We are the registered manufacturers of Chillers under the brand name(Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is
2. The above equipment is manufactured or imported by(Name of the company) in the brand name and is manufactured at (Name and address of the factory).
3. The details of the information in respect of the equipment, certification of test products, labels and payment is given in Annexure I and relevant photocopies are enclosed.
4. Conformance to standards : I/We conform that the product and the model complies with the requirement of the Bureau of Indian Standard (IS)/other International Standards (ISO/IEC) in respect of Quality System/ Other Standards (name and number of the standard)as specified in the notification on(title of the notification) for the(name of the equipment).

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute or Eurovent Certita or equivalent accreditation bodies having Mutual Recognition Arrangements with International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Accreditation Cooperation for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard or International Standard Organization or International Electrotechnical Commission standards as specified in S.O.....

Laboratory details:

(a) Accreditation Board:

(b) Accreditation status:

(i) For Laboratory: (Yes/No)

(ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)

(c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid by electronic mode.....dated.....
6. I/We agree to pay the labelling fee of INR 3/kW/- (Rupees three per kilowatt of refrigeration) for each label affixed on chiller as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure I

[See para 3 of Form I (B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail**1.1 General** (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Serial number
Year of manufacture
Rated voltage
Rated Frequency
Type of condenser (water cooled/air cooled)
Rated cooling capacity
Rated COP
Rated ISEER
Star Rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)**a) Tested Values:**

S.No	Measured Values	Rated Values
1.	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
2.	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
3.	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
4.	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For Laboratory (ii) For Relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	


3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

4. Model Details:

Model	Model Name/Model Number

5. Specimen of the label to be affixed on Chillers is shown below:



Date

Signature

Name
 Designation
 For and on behalf of.....

(Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

FORM II (A)

[See clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in the Annexure I to this letter.
2. This permission is subject to —
 - (a) the star level displayed on the label of the Chillers shall conform to energy consumption standards for Chillers notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of Chillers for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the Chillers at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Chillers shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of Chillers as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Chillers from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)
 BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure I

[See para 1 of Form III]

Details of Approvals

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:**3. Unique Series Code:****4. Other details (if applicable):**

Date.....

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM II (B)

[See clause (b) of sub-regulation (1) and sub-regulation (6) of regulation 7]

Permission/renewal of permission to affix label on Chillers under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023

New Delhi, dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure I to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Chillers shall conform to energy consumption standards for Chillers notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be stamped only on such model of Chillers for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed or affixed on the Chillers at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Chillers shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of rupees three per kilowatt for each label being affixed on chiller;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated system;
 - (g) the permittee shall make available such other details of Chillers as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid with effect fromto..... and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Chiller from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)
 BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure I
[See para 1 of Form IV]
Details of Approvals

1. Details of the equipment

- (a) **Brand:**
(b) **BMG**
(c) **Model Details:**

S.No.	Model Type (Parent/Child Model)	Model Name/ Number

(Note: Table shall include details of all models (Parent and child models) under the aforementioned BMG

(d) Technical Specification:

Sl.No	Rated Values	Measured Values
1.	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Cooling Capacity - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
2.	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Power Consumption - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
3.	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load	Coefficient of Performance (COP) - At 25% load - At 50% load - At 75% load - At 100% load
4.	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)	Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (ISEER)


(Note: Table shall include details of all models (Parent and child models) under the aforementioned BMG

2. Label Details

Appliance and Type	
name of manufacturer or importer and brand	
BMG/Model/year of manufacturing or import	
unique series code	
cooling technology	
compressor type	
cooling capacity	
total power input	
label validity period	
country of origin	
Rated ISEER	
Star Rating	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.

- 4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the Chillers is shown below (Separate specimens for family of models under a Basic Model Group is annexed).



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Chillers.

Date

Yours faithfully

(Secretary)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittee

Sl. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, PhoneNo., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	BEE permission number and unique label series	Validity Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security deposit	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Application Fees details of Amount received (Electronic transaction (Details): Date:)
(8)	(9)	(10)

Number of labels affixed at the end of each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fee details of Amount received (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing/ already approved model of Chillers

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:**To**

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of Chillers carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Chillers as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023 which would go for revision of star level with effect from.....

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. numberdated.....for Chillers. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the Chillers is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Cooling Capacity	--	
Total Power Consumption	--	
COP	--	
ISEER		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Chiller model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)
 Signature
 Name
 Designation
 For and on behalf of.....

 (Name of the firm)
 SEAL OF FIRM

FORM V

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers**) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the Chillers vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The results of the test report on the sample bearing unique identification serial number is enclosed. Verification testing of the chiller model indicated that the sampled Chiller failed to meet the energy performance norms (Cooling Capacity, Power Consumption, Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio) and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Chiller manufactured/imported by you. The verification results were sent to you *vide* the Bureau letter No.....dated.....in the name of your authorized contact person.
3. The test results of check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of check testing activity. The test results conforms that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Chillers manufactured/imported and sold in the market .
4. The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the chillers or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.
5. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months, i.e., byIn case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.
6. The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,
 Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI

Action Taken Report

[See sub-regulation (7) of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To**Date:**

The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023, we M/s.....the manufacturer of Chillers were permitted to affix label on the Chiller conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Chillers) Regulations, 2023, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Chillers to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars to be displayed on any chiller unit under manufacturing	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....
Name.....
Designation.....
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./432/2023-24]